न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 38/2024(GCMS 2024/152)

(आरटीआई संख्या 212466378211395)

एडवोकेट शिव कुमार आचार्य, कोर्ट कैम्पस, अनूपगढ़ (राज.) मोबाईल नम्बर 8239148588

बनाम

तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री शिव कुमार आचार्य स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उसने तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.04.2024 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री शिव कुमार आचार्य ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.04.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न **एक बिन्दु की सूचना चाही थी** :

> ग्राम 3 जी.डी.एम. पटवार हल्का 6 जी.डी.एम.भू.अ.नि. क्षे. रघुनाथपुरा का मु.नं. 52 मुरब्बा नम्बर 19/40 के किला नं. 2, 3, 8 से 14 व 17 व मु. नं. 5 [illegible] स्थित [illegible] नम्बर 19/32 के किला नं. 6,7,8, व 13 से 18 व 24, 25 [illegible] स्थित है। उपरोक्त भूमि का इन्तकाल/नामान्तरण संख्या 1[illegible] की प्रमाणित प्रतिलिपि [illegible]न करने का कष्ट करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:49:08 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/617 दिनांक 24.02.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत **प्रासंगिक** पत्र के संदर्भ में **निवेदन** है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गए दस्तावेज बाबत इस कार्यालय के पत्रांक भू.अ./2024/931 दिनांक 12.06.2024 को अवगत करवाया दिया गया है। प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय से सम्पर्क नहीं किया गया है और न ही हल्का पटवारी से इस हेतु सम्पर्क किया गया है। प्रार्थी चाहे तो निर्धारित शुल्क 2/– रूपये जमा करवाकर अथवा डाक लिफाफे से स्वयं का पता लिखा एवं उचित डाक टिकट लिफाफा इस कार्यालय मे प्रेषित कर चाहा गया दस्तावेज प्राप्त कर सकता हैं अपील खारिज करने का श्रम करावे।

तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है। जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेव की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार राजकोष में निर्धारित शुल्क जमा करवा देवें तो उसे सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** [illegible] तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.03.202[illegible] **लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:49:08 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर